

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग देहरादून।

धन सिंह कुटिया
वरिष्ठ सहायक अभियन्ता

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 413/2019 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में सतपुली स्थित लोक निर्माण विभाग लैन्सडाऊन के निरीक्षण भवन (6 सूटर का अतिथि गृह सहित) नवनिर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रा., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लागत ₹ 4.40 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 4.40 लाख (रुपये चार लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 के अन्तर्गत संगत योजना में प्राविधानित बजट से निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(xii) विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80 सामान्य-051 निर्माण-02 लोक निर्माण (नये कार्य)-53 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 694/XXVII(2)/2020 दिनांक 04 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

संख्या- (1)/III(2)/21-39(एम.एल.ए.)2017TCH तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन (पौड़ी)।
11. गार्ड फाईल।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

सं. 120 / 20 यातायात / 21 दि. - 16-2-21

आज्ञा से,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

1. अधीक्षक अभिं, लोक निर्माण, पौड़ी।
2. अधीक्षक अभिं 12 वृत्त, लोक निर्माण, पौड़ी।
3. अधीक्षक अभिं प्रां. खं, लोक निर्माण, लैन्सडाऊन।
4. अधीक्षक अभिं आई.डी. सैला. कार्यालय प्रमुख अभिं एवं विभागाध्यक्ष।
5. कनिष्ठ अभिं प्रां. खं वृत्त कार्यालय प्रमुख अभिं एवं विभागाध्यक्ष।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -197/III(2)/21-39(MLA)17 TCII
 अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21020220006
 आवंटन पत्र दिनांक-10-FEB-2021

लेखा शीर्षक

4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत
 परिव्यय
 051-निर्माण
 00-0

80-General

02-लोक निर्माण (नए कार्य)

Voted

4	0	5	9	8	0	0	5	1	0	2	0	0
मानक मद का नाम					पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग	
53-वृहद निर्माण					30000		10000		0		40000	
योग					30000		10000		0		40000	

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER